eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

घरेलू हिंसा एवं महिला मानवाधिकार के प्रति महिलाओं की जागरूकता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

[1]दीपिका श्रीवास्तव

[1]समाजशास्त्र विभाग, दयानन्द गर्ल्स पी0जी0 कालेज, कानपुर उ0प्र0

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, तिरस्कार एवं यन्त्रणा उतनी ही प्राचीन है जितना कि पारिवारिक इतिहास। विचारों, अन्धविष्वासों, रीति–रिवाजों तथा व्यवहार के प्रचलित प्रतिमानों के अन्तर्गत महिलाओं की निर्योग्यता एवं पुरूषों का विशेषाधिकार महिलाओं की दुःखद सामाजिक प्रस्थिति को अभिव्यक्त करती है। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं असमानता निरंतर बढ़ती ही जा रही है, और इसकी उच्च पराकाष्ठा हिंसा में परिवर्तित हो रही है। परिवार, स्कूल, कार्यस्थल आदि विभिन्न स्थानों पर बालिकाओं एवं महिलाओं का शोषण देखा जा सकता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 प्रभावी है। सरकार द्वारा महिलाओं के हितार्थ, कल्याणार्थ अनेकानेक योजनायें जो वर्तमान में चल रही हैं उन्हें और अधिक प्रभावी बनाकर एवं निष्पक्ष रूप से इन योजनाओं को लागू कर महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में कमी लायी जा सकती है और महिला के प्रति हिंसा के बढ़ते ग्राफ को रोका जा सकता है। इसके लिए विकासषील सोच वाले षिक्षित पुरूषों को आगे बढ़कर रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदलना होगा तथा महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत होना होगा।

मुख्य शब्द – घरेलू हिंसा, मानवाधिकार, उत्पीड़न, अधिनियम।

Introduction

प्रत्येक मानव को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के साथ–साथ उसकी भोजन, वस्त्र व आवास की बुनियादी आवश्यकता पूर्ण होना भी मूलभूत अधिकारों में मुख्य है। मानवीय समाज में सभी सदस्यों की अन्तर्निहित गरिमा और सम्मान अभेद्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शान्ति के आधार हैं। मानव गरिमा व स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति के लिए एक ईश्वरीय देन है। किसी भी मनुष्य को अत्याचार और उत्पीड़न के विरूद्ध अन्तिम अस्त्र के रूप में विद्रोह का अवलम्बन लेने के लिए विवश नहीं किया जाता है तो यह आवश्यक है कि उसके अधिकारों का संरक्षण विधि सम्मत् शासन द्वारा किया जाये। सामान्यतः महिलाओं के सन्दर्भ में हिंसा की बात की जाती है तो इस क्रम में हमारा आशय मात्र शारीरिक हिंसा तक ही सीमित होता है, पर महिलाओं के अंतर्मन को आहत करती घरेलू हिंसा का उनके मन–मस्तिष्क पर कितना गहन गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश समाज का ध्यान नहीं जाता है। जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात् बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि विभिन्न अवस्थाओं पर हिंसा देखी जा सकती है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना, जैसे मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से प्रहार करना, महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की सामाजिक व पारिवारिक प्रतिष्ठा को आहत करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करना, आत्महत्या की धमकी देना आदि घरेलू हिंसा की परिधि में आते हैं। भारत का संविधान स्त्री और पुरूष के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता है, परन्तु समाज में महिलाओं की स्थिति जहा है, वहीं है। महिलाओं के साथ घरेलू सीमा में होने वाले हिंसापूर्ण कार्यो पर प्रभावी नियन्त्रण लगाने हेतु सर्वप्रथम घरेलू हिंसा अधिनिमय 2002 में लाया गया। किन्तु उसमें भी संशोधन की आवष्यकता थी। इसमें अनेक नये संशोधनों के उपरान्त नवीन प्रमुख 2005 का अधिनियम के द्वारा घरेलू स्तर में महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने हेतु प्रयास किया गया।

महिलाओं की गरिमा का किसी भी कीमत पर हनन अमानवीय है। इस सन्दर्भ में अनेक कानून बनाये गये हैं। किन्तु घटनाओं की पुनरावृति इस बात की ओर संकेत है कि कोई भी कानून इतनी सख्ती से क्रियान्वित नहीं किया गया कि महिलायें समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें। महिलाओं को उनके मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना, भारत सरकार एवं शैक्षिक संस्थाओं के लिये परम आवश्यक है। साथ ही सुरक्षा सम्बन्धित अधिनियमों की जानकारी से समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों पर सकारात्मक रूप से रोक लगायी जा सकती है, जो कि स्वयं को परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने के साथ–साथ समाज तथा सम्पूर्ण राष्ट्र को समृद्ध एवं विकसित करने का कार्य करती है।

यह माना जाता है कि प्रारम्भिक युग में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, और परिवार तब मातृसत्तात्मक थे। जिसमें महिलाओं को विशेष धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी अधिकार प्राप्त थे। तत्पष्चात् स्त्री और पुरूष के बीच समानता थी, फिर कई कारणों से पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था शुरू हो गयी और मध्यकाल में काफी लम्बे अर्से तक चलते विदेशी आक्रमणों के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती गयी और वह घर तक ही सीमित हो गयीं। वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हुई है। घरेलू हिंसा महिला के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। लेकिन घरेलू हिंसा का यही प्रतिरूप समाज में दिखायी पड़ता है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एक बहुआयामी मुद्दा हैं जिसके सामाजिक, निजी, सार्वजनिक और लैंगिक पहलू हैं। एक पहलू से निपटे तो तुरंत ही दूसरा पहलू नजर आने लगता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का एक जटिल और घिनौना स्वरूप है। यह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर छिपाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है बल्कि कई बार तो इसे नकार दिया जाता है। वर्तमान में समाज के स्तर पर घरेलू हिंसा की हकीकत को स्वीकार करने से यह माना जाता है कि विवाह और परिवार जैसे स्थापित सामाजिक ढांचों में महिलाओं की खराब स्थिति को भी स्वीकार करना होगा।

घरेलू हिसां के कारण :–

- किसी भी महिला द्वारा यौन सम्बन्ध बनाने से इंकार करना।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

- अच्छा व स्वादिष्ट भोजन न बना पाना।
- पत्नी का अपने पति को बिना बताए घर से बाहर जाना।
- घरेलू हिंसा होने का प्रमुख कारण यह है कि कुछ लोगों की यह मानसिकता होती है कि महिलाएं पुरूषों की अपेक्षा शारीरिक व भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। जिससे वे महिलाओं के साथ हिंसात्मक भरे कार्यों को करने लगते हैं।
- बच्चों की वजह से मतभेद आदि घरेलू हिंसा होने के कारण हैं।
- शराब या मदिरापान आदि का सेवन भी प्रमुख कारण है।
- शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि शब्दों के माध्यम से कहे गये अपशब्दों से भी भी किया गया व्यवहार घरेलू हिंसा का ही रूप है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा के दायरे में आने के लिये जरूरी नहीं कि कुछ किया ही जाए, कुछ परिस्थितियों में घरेलू सम्बन्धों में कुछ नहीं करना भी जिससे किसी व्यक्ति के जीवन पर चोट पहुंची हो, घरेलू हिंसा कहलाएगा।

उद्देश्य :

- घरेलू हिंसा के स्वरूपों को ज्ञात करना।
- घरेलू हिंसा के प्रमुख कारणों को ज्ञात करना।
- घरेलू हिंसा से उत्पीड़ित महिलाओं से सम्पर्क कर तथ्यों को ज्ञात करना।
- महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति का अनुभवात्मक अध्ययन।
- मानवाधिकार एवं महिला मानवाधिकार की अवधारणा को स्पष्ट कर वैष्विक परिप्रेक्ष्य में इसका ऐतिहासिक एवं व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करना।
- महिलाओं को महिला मानवाधिकारों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना।

भारतीय महिलायें, अन्य कई देशों की महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया इतनी धीमी रही है कि उसके प्रभाव अभी भी अस्पष्ट हैं और वे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से वे पुरूषों से काफी पीछे हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार के लिये अनेक प्रयास किये गये, किन्तु परिणाम इतने अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। आज भी महिलायें घरेलू हिंसा एवं अपराधिक हिंसा का षिकार हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा भारतीय सामाजिक जीवन के लिए एक अभिशाप है। भारतीय समाज में महिलायें किसी भी वर्ग की हों, किसी भी सामाजिक स्तर की हों, किसी भी आयु वर्ग की हों, वे किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। भारतीय समाज में सभी संस्कृतियों में महिलाओं के प्रति विशेष पूजनीय एवं सम्मानजनक स्थान है। महिला को परिवार व समाज की नींव माना गया है। परन्तु इस सबके पश्चात् भी व्यवहारिक रूप में नारी की स्थिति ऐसी नहीं रही है। वैधानिक दृष्टि से स्त्रियों को ऊँचा उठाने के लिये चाहे जितने भी कदम उठाये गये हों, व्यवहारिक दृष्टि से उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया तथा उनका तिरस्कार अपमान व प्रताड़ना अभी भी की जाती है। महिला उत्पीड़न की घटनाओं में सबसे वीभत्स रूप घरेलू

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

हिंसा का है। यह घरेलू हिंसा का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी है। सामाजिक विज्ञानियों एवं इतिहासकारों ने परिवार में होने वाली घरेलू हिंसा को सामाजिक समस्या के रूप में देखा ही नहीं था। अब तक इसे केवल घरेलू एवं निजी प्रकरण के रूप समझा गया, घरेलू हिंसा के रूप नहीं। जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को एक व्यक्ति के निजी मामलों में दखल की संज्ञा दी गयी।

सुझाव :– समकालीन भारतीय समाज की परम्परायें निरंतर बदल रही हैं, किन्तु महिला सशक्तिकरण को अभी भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आदर्षो तथा मापदण्डों में अर्न्तद्वन्दों की स्थिति बनी हुयी है। जिसके परिणामस्वरूप मानवीय सम्बन्धों में तनाव व संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, इन मानवीय सम्बन्धों में होने वाले तनाव व संघर्ष को विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति अपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है अपितु घरेलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध घर–गृहस्थी में महिलाओं पर किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय स्त्री सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शान्ति व आत्म उपलब्धि का जीवन प्रारम्भ होगा। परन्तु इसके विपरीत सैकड़ों विवाहित महिलाओं के यह स्वप्न टूट जाते हैं। वे पुरुष द्वारा मार–पीट और यातना की अन्तहीन लम्बी, अंधी गुफाओं में अपने आपको पाती हैं। वर्तमान समय के अनुसार मानवाधिकार एक व्यापक अवधारणा है। वैधानिक अथवा कानूनी परिकल्पना ही नहीं वरन् वैचारिक विमर्श, समस्या एवं चुनौती भी है। वस्तुतः मानवाधिकार संरक्षण ही मानव सभ्यता के संरक्षण का आधार है। किसी व्यक्ति के मानव होने और मानव बने रहने के लिए मानवाधिकारों का होना आवश्यक है। वर्तमान में सम्पूर्ण समाज में हर धर्म व सम्प्रदाय की महिला क्रियाशील होकर आगे बढ़ रही हैं। महिलायें भी अब तत्पर हैं, समाज में समान सहभागिता हेतु अब वे अपनी गरीबी व लाचारी को त्यागकर समाज के विकास में सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं। परन्तु अभी भी कुछ जड़ें कट्टरवादी पुरातनपंथी एवं महिलाओं को पूर्ण स्वायत्तता व अधिकार प्रदान करने के पक्षधर नहीं हैं। इसी कारण वे समाज में बाहर निकलकर महिलाओं के कार्य करने का विरोध कर उनकी सशक्तिकरण की राह में बाधक बन रहे हैं। वे महिलाओं के स्वतंत्र व स्वावलम्बी औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। वे पर्दे की आड़ में महिलाओं की क्षमता का हरण करना चाहता हैं। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण की बात प्रत्येक देश में चल रही है जो साबित करती है कि संसार के किसी भी समाज ने महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता यथोचित मात्रा में प्रदान नहीं की। पुरुष द्वारा वे अस्तित्वहीन बनाकर रखी गयी। उनकी उपयोगिता सिर्फ पुरुषों के भोगविलास और संतान पैदा करने तक ही सीमित रही। उसे घर की चहार–दीवारी के अंदर कैद करके रख दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि वे सभी मानवाधिकार जो पुरुषों को प्राप्त हैं, महिलाओं को भी समान रूप से प्राप्त होने चाहिए क्योंकि वे भी मानव हैं।

निष्कर्ष : – महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा तथा महिला अधिकारों की जागरूकता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिये कानून तथा प्रशासन को मदद के लिये और आगे आना चाहिये । इसके साथ ही समाज को भी महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना चाहिए। महिलाओं को भी अपने प्रति होने वाली घरेलू हिंसा व उनसे बने कानून के प्रति जागरूक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

होना चाहिये व उनको अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिये। किसी और की मदद से पहले उन्हें स्वयं को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से सक्षम होकर अपनी सहायता करनी होगी। साथ ही समाज व परिवार के सदस्यों की भूमिका भी सहयोगात्मक होनी चाहिये। अधिकतर महिलायें घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून एवं अधिकार की जानकारी बहुत कम रखती है। इसके लिये महिलाओ को स्वयं सचेष्ट होना पड़ेगा और साथ ही सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को, जो वर्तमान में चल रही है उन्हें अधिक से अधिक जागरूक कर समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिये तैयार करे। भारतीय समाज में मानवाधिकारों की स्थिति, उनको प्रभावित करने वाले कारक तथा संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रावधानों व प्रयासों की भी भूमिका प्रमुख रूप से होनी चाहिये।

संदर्भ सूची

1. पूरणमल, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और भारत का संविधान, पोइन्टर पब्लिषर्स, जयपुर, 2003
2. सुधारानी श्रीवास्तव, मानवाधिकार, मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ,भोपाल, 2009
3. गीता मौर्या, मानवाधिकार, अनुभव पब्लिषिंग हाउस, इलाहाबाद, 2011
4. डा0 श्याम, एस0 कुमावत ''महिलाओं के विरूद्ध असमानता एवं हिंसा'' International Journal of Scientific Research , Volume:2, Issue : 4 /April 2013